CCMS NO – 2020/00116

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –38 / 2020 (अपील)

1. मोतीलाल पुत्र स्व0 श्री चन्दालाल जाति खाती, निवासी ग्राम अरलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

---अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जाति बैरवा, निवासी ग्राम बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा

---रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 03.07.2020 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा अन्तर्गत धारा 183–बी ,रा.का. अधि.

उपस्थित–

1. **श्री गोविन्द नामदेव, अभिभाषक अपीलान्ट**
2. **श्री जावेद इकबाल, अभिभाषक रेस्पो0**

निर्णय

दिनांकः– 08.10.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में दिनांक 03.07.2020 को निर्णय पारित किया कि– ''आवेदक देवीलाल का आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थी मोतीलाल पुत्र चन्दालाल को पाबन्द किया जाता है कि वह आवेदक देवीलाल के कब्जेकाश्त में कोई बाधा उत्पन्न ना करें । ओर यदि मोतीलाल द्वारा आवेदक देवीलाल व अन्य की आराजी पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण /कब्जा किया गया है तो उसे अविलम्ब बेदखल करने के आदेश प्रदान किए जाते है । यदि किसी उच्चतर न्यायालय का कोई स्थगन ना हो तो निर्णय की पालना करवाने हेतु निर्णय की प्रति आई एल आर कैथून व थानाधिकारी कैथून को प्रेषित की जावें ।''

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 24.07.2020 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । रेस्पोडेन्ट कम 1 देवीलाल वर्तमान में उक्त विवादित आराजी का किसी प्रकार से कोई न तो खातेदार है न ही कभी रेस्पोडेन्ट कम 1 देवीलाल का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है, रेस्पोडेन्ट कम 1 देवीलाल द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है , जिसके प्रमाण हेतु जमाबन्दी की प्रति माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है तथा जब रेस्पोडेन्ट कम 1 देवीलाल का उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं है तो बिना जांच किये पारित किया गया आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 देवीलाल के पिता रामचन्द्र जी पुत्र लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी ग्राम बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला

कार्यालय जिला ... कोटा (राज0)

जिला कलक्टर कोटा

कोटा से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 13 मई 1974 को क्रय की गई थी, जिस पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल के बतौर गवाह हस्ताक्षर है तथा अपीलान्ट उक्त भूमि पर 13 मई 1974 से ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा रामचन्द्र जी की मृत्यु के बाद रामचन्द्र जी के वारिसान का नाम खाते में आने के कारण रामचन्द्र जी के वारिसान जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल प्रमुख है जिसके मन में बदनियति आ गई तथा ऐनकेन प्रकारेण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने का भरसक प्रयास किया तथा विभिन्न न्यायालयों से स्थगन होने के कारण विफल रहा तथा जब किसी प्रकार से सफल नहीं हो सका तो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल एवं स्वर्गीय रामचन्द्र जी के वारिसान द्वारा षडयन्त्रपूर्ण तरीके से उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी उच्छवलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बडौदिया को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दी तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में उच्छवलाल का नाम भी दर्ज हो गया, लेकिन उक्त भूमि पर न तो कभी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल एवं उनके भाईयों का कब्जा रहा न ही वर्तमान में उच्छवलाल का कब्जा है केवल माननीय अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर उक्त आदेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवा लिया है जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल का उक्त भूमि से वर्ष 2014 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । उक्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील वर्तमान में विचाराधीन है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को पूर्णरूप से है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल कानूनन इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है कारण कि स्वर्गीय रामचन्द्र जी के देवीलाल के अतिरिक्त और भी वारिसान रिकार्ड पर मौजूद है लेकिन जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही मेन्टेनेबल नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राह्यता के स्तर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त विवादित आराजी को सवयं के कब्जे में होने तथा अपीलान्ट को विवादित आराजी पर काश्त व्यवस्था में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द करने हेतु सहायता चाही गई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी मौके की जांच करवाये अपीलान्ट को उसके कानूनी कब्जे से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्ययालय का आदेश दिनांक 3.7.2020 निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । वकील उभयक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल के पिता रामचन्द्र जी पुत्र लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी ग्राम बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 13 मई 1974 को क्रय की गई थी, जिस पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल के बतौर गवाह हस्ताक्षर है तथा अपीलान्ट उक्त भूमि पर 13 मई 1974 से ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा रामचन्द्र जी की मृत्यु के बाद रामचन्द्र जी के वारिसान का नाम खाते में आने के कारण रामचन्द्र जी के वारिसान जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल प्रमुख है जिसके मन में बदनियति आ गई तथा ऐनकेन प्रकारेण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने का भरसक प्रयास किया तथा विभिन्न न्यायालयों से स्थगन होने के कारण विफल रहा तथा जब किसी प्रकार से सफल नहीं हो सका तो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 देवीलाल एवं स्वर्गीय रामचन्द्र जी के वारिसान द्वारा षडयन्त्रपूर्ण

तरीके से उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी उच्छवलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बडौदिया को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दी तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में उच्छवलाल का नाम भी दर्ज हो गया, लेकिन उक्त भूमि पर न तो कभी रेस्पोडेन्ट कम 1 देवीलाल एवं उनके भाईयों का कब्जा रहा न ही वर्तमान में उच्छवलाल का कब्जा है केवल माननीय अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर उक्त आदेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवा लिया है जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 देवीलाल का उक्त भूमि से वर्ष 2014 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । उक्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील वर्तमान में विचाराधीन है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को पूर्णरूप से है । रेस्पोडेन्ट कम 1 देवीलाल कानूनन इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है कारण कि स्वर्गीय रामचन्द्र जी के देवीलाल के अतिरिक्त और भी वारिसान रिकार्ड पर मौजूद है लेकिन जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही मेन्टेनेबल नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राह्यता के स्तर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । उक्त आराजी पर निरन्तर अपीलान्ट का कब्जा है तथा 183–बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मियाद 12 वर्ष है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी मियाद बाहर प्रस्तुत किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्ययालय का आदेश दिनांक 3.7.2020 निरस्त फरमाया जावें । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी–2008(1) एवं आरआरडी 1985 पेज नं0 358 दौराने बहस पेश किया ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 3.7.2020 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का सदस्य होकर अपीलान्ट द्वारा जबरन कब्जा किया हुआ है. अपीलान्ट का कहना असत्य है कि उक्त भूमि से सम्बन्धी कोई अपील राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि से सम्बन्धी कोई अपील राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है । न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा एवं राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से मुकदमे खारिज हो चुके है । अनुसूचित जाति की भूमि सवर्ण के नाम खाते नहीं हो सकती है न ही कब्जे काश्त की जा सकती है । प्रस्तुत अपील विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावें ।

6. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 03.07..2020 अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट 1955 के विरूद्व अन्दर मियाद पेश की गई है । अपीलांट का यह तर्क कि उक्त विवादित भूमि उनके द्वारा रेस्पो0 नं0 1 के पिता रामचन्द्र से 13 मई 1974 में क्रय की गई थी किन्तु नामा0 नहीं खुलवा पाने से देवीलाल द्वारा उच्छवलाल को बेचान कर दी गई, जबकि प्रथम क्रेता अपीलान्ट है । रेस्पोडेन्ट के कथन से हम सहमत है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि सवर्ण का कब्जा होने पर नियमानुसार अन्तर्गत धारा 183–बी के तहत कब्जा अनुसूचित जाति के सदस्य को दिलाने का प्रावधान है । चूंकि अपीलान्ट द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत बेयनामा 13 मई 1974 अनुसार उक्त भूमि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया जाना पाया जाता है किन्तु कानूनी प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति की भूमि सवर्ण के नाम खाते में दर्ज नहीं हो सकती है, वकील अपीलान्ट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुने बिना ही आदेश पारित किया गया है । हम सहमत है कि न्याय के सिद्वान्त अनुसार कोई भी निर्णय

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

पारित करने से पूर्व सभी पक्षों को सुना जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय में भी अपीलान्ट मोतीलाल को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 3.7.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट मदनलाल एवं सभी पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि के परिपेक्ष्य में नवीन निर्णय पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

8/10/20

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)